

स्वच्छता से संपन्नता की और बढ़ रहा है रतलाम

आजादी का अमृत महोत्सव के तीसरे दिन सामुदायिक व सुलभ शौचालयों की विशेष सफाई के साथ ही हनुमान ताल पर श्रमदान के साथ किया कचरा संग्रहण नागरिकों को दी गई गीला-सूखा कचरा अलग-अलग रखने की सीख

रतलाम 29 सितम्बर । नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कहा कि नगर से महानगर की ओर बढ़ते रतलाम शहर में विकास के कार्य तेजी से हो रहे हैं और आने वाले समय में रतलाम प्रदेश के विकसित क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाएगा। ऐसे में अब ये भी जरूरी हो गया है कि रतलाम शहर को स्वच्छता के माध्यम से संपन्न बनाया जाए क्योंकि किसी भी शहर क नागरिकों को स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छता जरूरी है।

आजादी के इस अमृत महोत्सव में हम सभी संकल्प ले कि रतलाम का नाम स्वच्छता की दौड़ में नम्बर-बनाएंगे। इसके लिए सभी उन सभी मानकों का पालन करेंगे, जो स्वच्छता के लिए जरूरी है।

संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देश और नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के कुशल मार्गदर्शन में बुधवार को शहर के सुलभ व सामुदायिक शौचालयों की विशेष सफाई कराई गई। इसके साथ ही विभिन्न वाड़ों में सफाई मित्र समूह के सदस्यों ने नागरिकों को अपने घरों में चार तरह के अलग-अलग डस्टबीन रखने की समझाईश देते हुए कहा कि घर या दुकान से निकले कचरे का निपटान नगर निगम निर्धारित कचरा संग्रहण वाहनों में ही करे। अगर कोई भी नागरिक कचरे का निपटान अन्यत्र करता है तो उसे निगम की स्पॉट फाईन टीम का सामना करना पड़ेगा।

इस मौके पर अलकापुरो रोड़ स्थित सुलभ शौचालय की विशेष सफाई की जाकर नागरिकों से फीडबैक भी दर्ज कराया गया। यहां द ग्रोइंग इण्डिया फाउन्डेशन के पदाधिकारियों व सदस्यों ने भी नागरिकों को स्वच्छता का संदेश दिया।

इसी तरह निगम आयुक्त श्री झारिया के निर्देशन में बाजना बस स्टैण्ड, त्रिपोलिया गेट, सिलावटो का वास हरीजन बस्ती, त्रिवेणी रोड़ स्थित सार्वजनिक शौचालयों की सफाई कराई गई व नागरिकों को कचरा पृथक्कीकरण की समझाईश दी गई इस मौके पर श्री राजा ठाकुर भी उपस्थित थे।

आजादी के अमृत महोत्सव पर आयोजित इन्ही स्वच्छता जागरुकता कार्यक्रमों के अन्तर्गत नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशन में शहर के प्राचीनतम हनुमान ताल क्षेत्र में श्रमदान के माध्यम से विशेष सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें सफाई मित्र समूह, द ग्रोइंग इण्डिया फाउन्डेशन के सदस्यों के साथ ही पूर्व पार्षद पवन सोमानी, पप्पू पुरोहित व निगम अधिकारी-कर्मचारियों ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया। यहां श्री सोमनाथ झारिया ने कहा कि तालाब, कुएं-बावड़ी हमारी प्राचीन धरोहर है, इन्हे सहेजकर रखना हमारा फर्ज व धर्म है। अपने घरों से निकली पूजन सामग्री या अन्य कचरा प्रवाहित कर इन्हे गंदा न करे।

इस अवसर पर कार्यपालन यंत्री व स्वच्छ भारत मिशन के नोडल अधिकारी श्री सुरेशचन्द्र व्यास, कार्यपालन अधिकारी जीके जायसवाल, श्री मोहम्मद हनीफ शेख, प्रभारी सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी, श्री एम.के. जैन, स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़े, श्री किरण चौहान के अलावा द ग्रोइंग इण्डिया फाउन्डेशन के सदस्य दिव्या प्रयास जोशी, मिली जोशी, श्रुति जोशी, शिवम, सलोनी, कीर्ति, प्रयास, दीपिका व सफाई मित्र समूह टीम के सक्रिय सदस्य उपस्थित थे।

29 सितम्बर को 1 मिट्रिक टन से अधिक कचरा जुलवानिया पंहुचा

नगर से निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन किया जा रहा है वजन

रतलाम 29 सितम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़को व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया जा रहा है जिसके तहत 29 सितम्बर बुधवार को 1 मिट्रिक टन से अधिक कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया गया।

29 सितम्बर मंगलवार को डम्पर से 56860, ट्रेक्टर से 3795, काम्पेक्टर सूखा कचरा 28315 व गीला कचरा 18070 किलो इस तरह कुल 107040 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पंहुचाया गया।

कार्य में लापरवाही बरतने पर ड्रायवर व हैल्पर सेवा से बर्खास्त स्वास्थ्य अधिकारी व झोन प्रभारियों का एक दिवस का वेतन काटा फॉगिंग मशीन चालक का 2 दिवस का वेतन काटा

रतलाम 29 सितम्बर। नगर निगम के 2 कचरा संग्रहण वाहन विगत 1 माह से महु रोड स्थित गैरज खड़े होने का विडियो व्हाट्स एप पर प्राप्त होने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह व झोन प्रभारी श्री विनय चौहान को कार्य में लापरवाही बरतने, सफाई व्यवस्था में विपरित प्रभाव पड़ने व निगम की छवि धुमिल होने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर 24 घन्टे में जवाब प्रस्तुत करने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

इसके अलावा उक्त वाहन के चालक देवकरण जावलीया व हैल्पर गोपाल-दिलीप दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी द्वारा उक्त वाहन की रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को प्रस्तुत नहीं करने पर सेवा से बर्खास्त किया गया।

झोन क्रमांक 2 अन्तर्गत कालिका माता मंदिर क्षेत्र में गंदगी एवं कचरे के ढेर पाये जाने पर झोन प्रभारी श्री किरण चौहान व वार्ड प्रभारी श्री दिलीप खरे को कार्य में लापरवाही बरतने, सफाई व्यवस्था में विपरित प्रभाव पड़ने व निगम की छवि धुमिल होने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर 24 घन्टे में जवाब प्रस्तुत करने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

शहर में डेंगू के प्रकोप को कम करने हेतु नगर निगम व मलेरिया विभाग के संयुक्त रूप से फॉगिंग मशीन से कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जा रहा है एक डबल बैरल की फॉगिंग मशीन का सुचारू रूप से संचालन नहीं किये जाने पर नियुक्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी श्री श्याम उंटवाल का दो दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

नगर निगम के आईटी सेल में बनाये जा रहे हैं आयुष्मान कार्ड

रतलाम 29 सितम्बर। आयुष्मान भारत "निरामयम" योजना अन्तर्गत रतलाम नगर के पात्र हितग्राहियों के निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य नगर निगम के आईटी सेल कार्यालय में कार्यालयीन समय में बनाये जा रहे हैं इस हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने अधिकारी एवं कर्मचारियों की नियुक्ति की है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि गरीब एवं असहाय परिवारों पर बीमारियों पर खर्च होने वाले आर्थिक बोझ एवं गुणवत्तापूर्वक इलाज समय पर उपलब्ध कराये जाने हेतु आयुष्मान भारत "निरामयम" योजना के तहत नगर के शेष रहे पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड नगर निगम के विकास शाखा स्थित आईटी सेल में बनाये जा रहे हैं।

आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया है कि रतलाम नगर के शेष रहे हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड निःशुल्क बनाये जाना है। पात्र हितग्राहियों और उनके परिवार सदस्यों का पंजीयन किये जाने हेतु आधार कार्ड व समग्र आईडी दस्तावेज के रूप में लिये जावें।

**1467 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए
स्वरोजगार ऋण से 27 हितग्राही हुए लाभान्वित
पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें**

रतलाम 29 सितम्बर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होंने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु राशि रूपये 10,000/- ब्याज मुक्त ऋण हेतु 3373 हितग्राहियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये गये है जिसमें से 1705 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके है तथा 1427 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है। इसी तरह द्वितीय कार्यशील पूंजी हेतु, राशि रूपये 20,000/- ब्याज मुक्त ऋण हेतु 58 हितग्राहियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये गये है जिसमें से 51 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके है तथा 38 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में नगर पालिक निगम निगम रतलाम को 150 के प्राप्त लक्ष्य के तहत 209 प्रकरण प्राप्त हुए जिसमें से 35 प्रकरण स्वीकृत हुए तथा 25 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में नगर पालिक निगम निगम रतलाम को 5 के प्राप्त लक्ष्य के तहत 3 प्रकरण प्राप्त हुए जिसमें से 2 प्रकरण स्वीकृत हुए तथा 2 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

नगर निगम द्वारा नगरीय क्षेत्र रतलाम के पथ विक्रेताओं से अपील की जाती है कि जिन्हे प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना अन्तर्गत राशि रूपये 10,000/- का ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा एसे पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी राशि रूपये 10,000/- का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त हो चुका है व जमा करा दिया है वे द्वितीय कार्यशील पूंजी राशि रूपये 20,000/- का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु नगर निगम के झोन कार्यालय अलकापुरी कम्युनिटी हॉल, डॉ0 अम्बेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्ड, अमृत सागर उद्यान व हरमाला पम्प हाउस कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर शीघ्र ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करें।

ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु पथ विक्रेता को आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

**अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ
पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही**

15 हजार रुपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि होगी वसूल

रतलाम 29 सितम्बर । शहर की मुख्य सड़के सैलाना रोड, सागोद रोड, महू रोड, स्टेशन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हें तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रुपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देशित किया है शहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रुपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

डेंगू से बचाव हेतु प्रत्येक झोन में एक-एक डबल बैरल फॉगिंग मशीन से कीटनाशक दवा का छिड़काव निरंतर जारी

रतलाम 29 सितम्बर। कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नागरिकों को मच्छर जनित डेंगू व मलेरिया जैसी बीमारी से बचाव हेतु नगर प्रत्येक झोन में एक-एक डबल बैरल फॉगिंग मशीन से कीटनाशक दवा का छिड़काव का कार्य निरंतर जारी है।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने इस अवसर पर बताया कि शहर में बढ़ रहे डेंगू व मलेरिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों पर नियंत्रण हेतु कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार प्रत्येक झोन में एक-एक डबल बैरल फॉगिंग मशीन से नगरनिगम व मलेरिया विभाग द्वारा रूट चार्ट अनुसार सुबह 05:30 से 08:00 बजे तक व शाम को 06:00 से रात 10:00 बजे तक किया जा रहा है साथ ही प्रत्येक वार्ड में एक-एक हैण्ड स्प्रे मशीन से भी कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जा रहा है।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 29 सितम्बर । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं हों। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 29 सितम्बर। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारो व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना

सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 29 सितम्बर । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डों की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों का हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/29.09.2021/न.पा.निगम, रतलाम.